राजस्व विभाग

युद्ध जागीर

दिनांक 5 मार्च, 1979

क्रमांक 93-ज(I)-79/12699.—श्री शिशपाल सिंह, पुत्र श्री खूबी सिंह, गांव ढाना लाडनपुर, तहसील व जिला भिवानी की दिनांक 5 मई, 1975 को हुई मृत्यु के परिणामस्वरूप हरियाणा के राज्यपाल, पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम, 1948 (जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और उसमें आज तक संशोधन किया गया है) कि धारा 4 एवं 2(ए)(1) तथा 3(1) के अधीन प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री शिशपाल सिंह की मुब्लिग 150 रु० वार्षिक की जागीर जो उसे पंजाब/हरियाणा सरकार की अधिसूचना क्रमांक 16056-जी. एन.-III-66/20003, दिनांक 26 सितम्बर, 1966 तथा अधिसूचना क्रमांक 5041-आर-III-70/29505, दिनांक 8 दिसम्बर, 1970 द्वारा मंजूर की गई थी, अब उसकी विधवा श्रीमती राजबाई के नाम खरीफ, 1975 से 150 रु० वार्षिक की दर से सनद में दी गई शर्तों के अन्तर्गत सहर्ष प्रदान करते हैं।

क्रमांक 114-ज(I)-79/12703.—श्री नानग राम, पुत्र श्री घीसा राम (सही नाम हर नारायण), गांव निमोठ, तहसील रिवाड़ी, जिला महेन्द्रगढ़, की दिनांक 28 मई, 1973 को हुई मृत्यु के परिणामस्वरूप हरियाणा के राज्यपाल, पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम, 1948 (जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और उसमें आज तक संशोधन किया गया है) की धारा 4 एवं 2(ए) (1ए) तथा 3 (1ए) के अधीन प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए सहर्ष आदेश देते हैं कि श्री नानग राम को मुब्लिग 150 रुपए वार्षिक की जागीर जो उसे पंजाब/हरियाणा सरकार की अधिसूचना क्रमांक 17650-जे० एन०-(III)-66/20514, दिनांक 3 अक्तूबर, 1966 तथा अधिसूचना क्रमांक 5041-आर-III-70/29505, दिनांक 8 दिसम्बर, 1970 द्वारा मंजूर की गई थी अब उस की विधवा श्रीमती धन्नी देवी के नाम खरीफ़, 1973 से 150 रुपये वार्षिक की दर से सनद में दी गई शर्तों के अन्तर्गत तबदील की जाती है।

दिनांक 7 मार्च, 1979

क्रमांक 94-ज(II)-79/12961.—पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम, 1948 (जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और उसमें आज तक संशोधन किया गया है) कि धारा 2(ए) (1) तथा 3(1) (ए) के अनुसार सौंपे गये अधिकारों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल श्री कली राम, पुत्र श्री सोहन लाल, गांव गुभाना, तहसील बहादुरगढ़, जिला रोहतक, को रबी, 1977 से 150 रु० वार्षिक कीमत वाली युद्ध जागीर सनद में दी गई शर्तों के अनुसार सहर्ष प्रदान करते हैं।

एस० के० प्रभाकर,
अवर सचिव, हरियाणा सरकार,
राजस्व विभाग।

HARYANA RAJ BHAVAN

The 20th March, 1979

No. HRB-A.S.(E)-14(2)-79.—Shri Ran Singh Mann, MLA, who was nominated as a member of the 'Samsad' Court) by the Chancellor of the Kurukshetra University under Statute 6 (b)(7) of the Kurukshetra University Act,—*vide* notification No. HRB-EA-14(2)-78, dated 20th December, 1978, was already a member of this body as he had been elected to the Court by the Haryana Vidhan Sabha under Statute 6 (b) (6) of Kurukshetra University Act. In view of this, the Kuladhipati (Chancellor) of the Kurukshetra University, in exercise of his powers under Statute 6(b) (7) of the Kurukshetra University Act and in partial modification of the notification referred to above, is pleased to nominate Shri K. L. Ronwa, Lecturer in English, C.R.M Jat College, Hissar in place of Shri Ran Singh Mann, MLA, for a period of 3 years with immediate effect.

TIRLOCHAN SINGH,

Secretary to Governor, Haryana, and
Kuladhipati of the Kurukshetra University,
Kurukshetra.

LATE NOTIFICATIONS